भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

डाक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में "सहायक निदेशक (राजभाषा)" के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, **डाक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में "सहायक निदेशक (राजभाषा)"** " पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसोदे पर कोई भी **आपत्तिधारक, यदि वें चाहें तो,** टिप्पणियाँ अथवा सुझाव, भर्ती नियमो के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनो की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.–II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ई कर मेल-हैं। सकते

गणेश कुमार

(गणेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011 : 23063481

नई दिल्ली
दिनांक :

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

Public Notice on draft Recruitment Rules for the post of "**Assistant Director (Official Language)**" in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi.

In compliance with DoPT's OM. No. AB-14017/61/2008-Estt.(RR) dated 13.10.15, the draft Recruitment Rules for post of "**Assistant Director (Official Language)**" in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi is annexed.

The stakeholders, interested in making any objections/comments or suggestions on the draft Recruitment Rules may do so in writing, within a period of 30 days from the date of publication of draft Recruitment Rules to Section Officer (MH-II), Room No.405A, Directorate General of Health Services, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi-110108 or at e-mail address: medicalhospital61@gmail.com.

3/7/23

(Ganesh Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele fax No. 23063481

New Delhi
Dated:

[भारत के राजपत्र,भाग II, खण्ड–3,उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2023

सा.का.नि. ...-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डॉ.राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (हिन्दी अधिकारी) (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2004 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में सहायक निदेशक(राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, सहायक निदेशक (राजभाषा), (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उन कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (राजभाषा)	01* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56100-177500 रुपए)	चयन	35 वर्ष की आयु से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख़ संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा	लागू नहीं होता ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6(34500-112400 रुपये) में ऐसे वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो और केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से संगत क्षेत्र में 2-4 सप्ताह का या समकक्ष या प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा निर्धारित क्षेत्र में

<table>
<tr>
<td>के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री।
या
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ, हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री।
या
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ, हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री।
या
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी या इनमें से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरा अनिवार्य या वैल्कल्पिक विषय के साथ, हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री।
(ii) केन्द्रीय/राज्य सरकारों/स्वायत्त निकाय/सांविधिक संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षिक संस्थानों में हिंदी में शब्दावली का प्रयोग करने/लागू करने(शब्दावली विषयक कार्य) और अंग्रेजी से हिंदी और विलोमतः अनुवाद कार्य, अधिमानतः तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य का, तीन वर्ष का अनुभव ।</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

<u>प्रतिनियुक्ति</u>
केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी:-
(क)(i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7(44900-142400 रुपये) में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 3 वर्ष की सेवा की हो; और
(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर</td>
</tr>
</table>

या केन्द्रीय/राज्य सरकारों/स्वायत्त निकाय/सांविधिक संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में हिंदी और अंग्रेजी शिक्षण का अथवा हिंदी या अंग्रेजी में अनुसंधान कार्य का तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड के 10वीं स्तर पर हिन्दी से भिन्न संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा का अध्ययन किया हो।				नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को '56 वर्ष से अधिक नहीं' होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेंगी: 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -सदस्य; 3. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 4. उप निदेशक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य। **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेंगी:** 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -सदस्य; 3. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 4. उप निदेशक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य।	पद पर नियुक्ति के प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।

[ए.11018/01/2023-एमएच-II]

(गणेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार